न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 420/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
धर्मेन्द्र पुत्र आसुराम जाति मेगवाल निवासी अम्बेडकर नगर, कालीबेरी जोधपुर		1– श्रीमती रामुदेवी पुत्री स्व0 पुरखाराम पत्नी लिखमाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम मणाई तहसील व जिला जोधपुर 2– रामाराम पुत्र स्व0 लालाराम जाति मेगवाल निवासी ग्राम मणाई, तहसील व जिला जोधपुर 3– ग्राम पंचायत इन्द्रोका जरिये सरपंच तहसील व जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 14–10–2013 जो उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 28/2009 अनवान रामूदेवी बनाम रामाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री आवडदान उज्जवल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री एम.के.डूडी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–3–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मणाई तहसील जोधपुर स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 54 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्व रेकर्ड मे लाला, पुरखिया पुत्र विरदा मेगवाल के नाम दर्ज थी । खातेदार पुरखिया के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 119 पुरखिया को लावल्द फौत होने का उल्लेख करते हुए सहखातेदार एवं उसके भाई लाला पुत्र विरदा कौम मेगवाल के नाम दर्ज कर दिनांक 25–11–74 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 119 के विरूद्ध रेस्पो0 सख्या 1 रामूदेवी पुत्री स्व0 पुरखाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 मे यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वह मृतक खातेदार पुरखिया की एकमात्र जायंदा पुत्री वारिस होते हुए उसके खातेदारी की भूमि बाबत नामांतरकरण संख्या 119 मे उसे लावल्द फौत होना बताते हुए उसके भाई लालाराम के नाम स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 के द्वारा अपीलांट की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को स्व0 विरदाराम के सभी वारिसानो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देशके साथ रिमाण्ड किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय से अपीलांट प्रभावित होने से वर्तमान अपील अपीलांट ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष अपील पेश करने की अनुमति के

प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थन पत्र मय शपथपत्रों के साथ पेश की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि के सुस्थापित सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 जो वर्ष 1974 को स्वीकृत हुआ था उसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 मे लगभग 34–35 वर्ष के विलंब से अपीलाधीन भूमि के तत्समय के खातेदार को पक्षकार बनाये बिना केवल वर्तमान रेस्पो0 संख्या 2 व तीन को ही पक्षकार बनाते हुए म्युटेशन की अपील पेश की । जबकि अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित खसरा नंबर 53 की 1/2 हिस्सा रकबा 23 बीघा 08 बिस्वा भूमि के खातेदार लालाराम पुत्र विरदाराम मेगवाल ने कोजाराम पुत्र हीरालाल जाति मेगवाल के पक्ष मे पंजीबद्ध बेचान दिनांक 28–8–89 को कर दिया था तथा उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार कोजाराम द्वारा उक्त नामांतरकरण संख्या 119 मे वर्णित भूमि मे से कुछ भू भाग 14.15 बीघा का पंजीबद्ध बेचान अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 6–8–2015 को कर दिया जाने पर अपीलांट का नाम बेचान के आधार पर अपीलांट के पक्ष मे 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 1139 दिनांक 20–8–2015 को स्वीकृत हुआ तथा राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट धर्मेन्द्र का नाम दर्ज हो चुका था परंतु इन सभी तथ्यो की जानकारी रेस्पो0 संख्या 1 व 2 को होते हुए अधीनस्थ न्यायालय मे दुर्भिसंधि करते हुए तथा सही तथ्यो को छुपाते हुए अपील पेश की तथा अपीलांट (रेकर्डेड खातेदार) को पक्षकार बनाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित करवा लिया, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांट को समय पर नही हो सकी इसलिए अपीलांट ने यह अपील प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति के साथ एवं धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया है, जिन्हे स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि मे से 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि के सद्भावी केता है तथा रेकर्डेड खातेदार है जिसे पक्षकार बनाये एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया है, जबकि अपीलाधीन भूमि के बेचान के साथ ही म्युटेशन मे वर्णित भूमि के संबंध मे हित अधिकार अब केतागणो के पक्ष मे निहित हो चुके थे तथा अपीलाधीन भूमि पर कब्जा केतागणो का ही चला आ रहा है परंतु उन्हे पक्षकार बनाकर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, वह न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 जो कि वर्ष 1974 मे स्वीकृत किया गया था उसके विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 34 वर्ष के विलंब से अपील पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय मे मयाद के बिन्दु को निर्णित किये बिना ही अपील के गुणावगुण पर निर्णित कर दिया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि विलंब से प्रस्तुत अपीलो मे पहले मयाद के बिन्दु को निर्णित किया जाये उसके पश्चात प्रकरण के गुणावगुण पर विचार किया जाये । परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन कृषि भूमि लाला, पुरखिया पुत्र विरदा मेगवाल के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज थी । सह खातेदार पुरखिया के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 119 पुरखिया को लावल्द फौत होने का उल्लेख करते हुए उसके भाई लाला पुत्र विरदा कौम मेगवाल के नाम दर्ज कर दिनांक 25–11–74 को स्वीकृत किया गया जबकि रेस्पो0 संख्या 1 रामुदेवी मृतक खातेदारी पुरखिया की एकमात्र वारिस जीवित थी परंतु उसका नाम अपीलाधीन म्युटेशन मे दर्ज नही किया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 एब–इनिश्यो वॉईड था जिसकी जानकारी होने पर रेस्पो0 संख्या 1 ने अपने पिता के खातेदारी के विधिविरूद्ध पारित किये गये म्युटेशन संख्या 119 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की तथा अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र विलंब को क्षमा करने का प्रस्तुत किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को स्वीकार करते हुए उक्त नामांतरकरण संख्या 119 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को स्व0 विरदाराम के सभी वारिसानो को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही करने के निर्देश के साथ रिमाण्ड किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 के मृतक खातेदार पुरखिया की पुत्री होने बाबत कोई विवाद नही है इसलिए पुरखिया के खातेदारी की भूमि मे अधिकार होने से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 जो एब–इनिश्यो–वॉईड था तथा ऐसे एब इनिश्यो वॉईड आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है इसलिए जैसे ही रेस्पो0 संख्या 1 को उक्त म्युटेशन की जानकारी हुई तो रेस्पो0 सख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय मे मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ अपील पेश की थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यो को सही मानते हुए जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि म्युटेशन संख्या 119 मे वर्णित भूमि मे सहखातेदार पुरखिया के हिस्से का बेचान करने का लालाराम को अधिकार ही नही था, यदि पुरखिया के हिस्से का बेचान किया भी गया है तो वह बेचान शून्य बेचान होने से

उससे केता को किसी प्रकार के अधिकार सृजित नही हो सकते इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं न्यायसंगत होने से अपीलांट की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119, अपीलाधीन निर्णय तथा वर्तमान अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया । अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 स्वीकृति दिनांक 25–11–74 के विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 1 रामुदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की जिस पर पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 14–10–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा मे पृथक–पृथक दो अपीले कमशः 420/2017 एवं 422/2017 प्रस्तुत हुई है । दोनो ही अपीलो के अपीलांट अपीलाधीन भूमि के सद्भावी केता है तथा उनका नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड मे दर्ज चला आ रहा है ।

इस अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 119 मे वर्णित खसरा नंबर 53 की कुल 54 बीघा 16 बिस्वा भूमि लाला, पुरखिया पुत्र विरदा मेगवाल के खातेदारी मे दर्ज थी । खातेदार पुरखिया के फौत होने पर विरासत का नामांतरकरण संख्या 119 पुरखिया को लावल्द फौत होने का उल्लेख करते हुए सहखातेदार एवं उसके भाई लाला पुत्र विरदा कौम मेगवाल के नाम दर्ज कर दिनांक 25–11–74 को स्वीकृत किया गया ।

उक्त नामांतरकरण संख्या 119 के विरूद्ध रेस्पो0 सख्या 1 रामूदेवी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2009 मे यह कथन करते हुए प्रथम अपील पेश की कि वह मृतक खातेदार पुरखिया की एकमात्र जायंदा पुत्री वारिस होते हुए उसके खातेदारी की भूमि बाबत नामांतरकरण संख्या 119 मे उसे लावल्द फौत होना बताते हुए उसके भाई लालाराम के नाम स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 के द्वारा ग्राम इन्द्रोका के नामांतरकरण संख्या 119 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जोधपुर को स्व0 विरदाराम के सभी वारिसानो की सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार म्युटेशन की कार्यवाही हेतु रिमाण्ड किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है क्योंकि उक्त म्युटेशन संख्या 119 विरदाराम के फोतेदगी का नही था ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील एवं उसके सलंग्न प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन से यह प्रकट है कि अपीलाधीन म्युटेशन मे वर्णित खसरा नंबर 53 की 54 बीघा 16 बिस्वा भूमि के खातेदार लालाराम पुत्र विरदाराम मेगवाल ने कोजाराम पुत्र हीरालाल जाति मेगवाल के पक्ष मे 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि का पंजीबद्ध बेचान दिनांक 28–8–89 को कर दिया था तथा उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार कोजाराम ने अपनी खरीदसुदा भूमि रकबा 14.15 बीघा का पंजीबद्ध बेचान वर्तमान अपीलांट धर्मेन्द्र के पक्ष मे दिनांक 6–8–2015 को कर दिया जाने पर अपीलांट के पक्ष मे 14 बीघा 15 बिस्वा भूमि के संबंध मे म्युटेशन संख्या 1139 दिनांक 20–8–2015 को स्वीकृत हुआ तथा तब से

राजस्व रेकर्ड मे अपीलांट धर्मेन्द्र का नाम दर्ज हो चुका था । अर्थात अपीलाधीन भूमि मे बेचान के आधार पर अपीलांट के हित निहित हो चुके थे परंतु अपीलांट को पक्षकार बनाये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय से अपीलांट सीधा प्रभावित पक्षकार होने से अपीलांट की अपील के साथ प्रस्तुत अनुमति प्रार्थना पत्र एवं धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने से प्रकट है कि अपीलांट अपीलाधीन भूमि के वर्तमान खसरा नंबर 53/2 रकबा 14.15 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनाये बिना ही अपील प्रस्तुत की गई थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त नही हुआ है, ऐसे मे वर्तमान अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायसंगत समझते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14–10–2013 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस अपील के अपीलांट, रेस्पो0गण एवं नामांतरकरण संख्या 119 मे वर्णित भूमि के अन्य हितबद्ध पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 28–3–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर